(99)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **के0सी0 जैन**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1020–तीन/2009 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–07–2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–800/निग0/07–08

.....

हरिवंश प्रसाद मिश्रा तनय रामनरेश
निवासी–ग्राम धरमपुरा, तहसील हनुमना,
जिला–रीवा, म0प्र

------आवेदक

विरूद्ध

1– वेदेही प्रसाद तनय माला राम
2– रामकुशल तनय माला राम
3– रामबदन तनय माला राम
4– रामसुफल तनय माला राम
निवासीगण– ग्राम धरमपुरा, तहसील हनुमना,
जिला–रीवा, म0प्र

------अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/9/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 800/निग0/07–08 पारित आदेश दिनांक 03–07–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, नायब तहसीलदार वृत्त पहाड़ी के न्यायालय में आवेदक हरिवंश प्रसाद द्वारा ग्राम धंमपूरा तहसील हनुमना, जिला–रीवा स्थित विवादित भूमि सर्वे नम्बर 165/2 रकबा 0.10 ए0 का वास्तविक स्थित के अनुसार तरमीम

किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें नायब तहसीलदार वृत्त पहाड़ी के द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/अ–74/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2001 के द्वारा आवेदन पत्र निरस्त किया गया। जिसके आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, हनुमना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें उनके द्वारा प्रकरण क्रमांक 45/अ–74/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 26.12.2002 के द्वारा अपील निरस्त की गई । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर ने प्रकरण क्रमांक 192/अ–74/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 30.07.08 के द्वारा तहसीलदार सर्किल पहाड़ी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि भूमिस्वामी, हितधारी, सरहदी कृषकों को सूचना देकर मौके का निरीक्षण किया जावे तथा मौके की स्थिति एवं कब्जा आधिपत्य अनुसार प्रश्नाधीन भूमियों का नक्शा तरमीम किया जावे । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में पेश किया गया । विधिवत प्रकरण क्रमांक 800/निगरानी/07–08 पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 03.07.2009 अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की गई । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि भूमि नं0 165/1 रकबा 0.06 ए0, भूमि नम्बर 165/2 रकबा 0.10 ए0 स्थित ग्राम धर्मपुरा तहसील–हनुमना, जिला–रीवा, म0प्र0 की पूर्व भूमिस्वामी फुलझरिया पत्नी रामसेन, निवासी–धर्मपुरा थे। फुलझरिया ने अपने स्वत्व आधिपत्य की भूमि नम्बर 165/1, 165/2 आवेदक के पक्ष में दिनांक 16.08.2002 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दिया था मौके पर कब्जा दखल दे दिया था । उक्तानुसार आवेदक का नामांतरण हो गया और मौके पर काबिज दखल है। अनावेदक के पिता मालाराम की भूमि नम्बर 165/3 रकबा 0.08 ए0 स्थित ग्राम धर्मपुरा के भूमिस्वामी है उनके द्वारा आवेदकगण को पुनः सूचना दिये। हल्का पटवारी से मिलकर आवेदक की भूमि का नक्शा तरमीम गलत ढंग से पूर्व एवं पश्चिम में करा लिया, जबकि उनके हिस्सा की भूमि उत्तर एवं दक्षिण दिशा की थी तथा उक्त तरमीम किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है न ही किसी सक्षम अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया । जबकि नक्शा तरमीम करने का अधिकार भू–राजस्व संहिता में कहीं भी ऐसा कानून नहीं है ।

भू–राजस्व संहिता में जो नियम है उसमें मौके पर जाकर नाप–जोख करनी चाहिये और सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये । विधिवत पंचनामा बनाना चाहिये, सरहदी कास्तकारों को सूचना दी जानी चाहिये तथा राजस्व निरीक्षकों को नक्शा तरमीम करने का अधिकारी है । पटवारी को कोई अधिकार नहीं है । आवेदक द्वारा तहसीलदार के यहां सुधार का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जो निरस्त कर दिया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर के यहां निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टी ने निगरानी स्वीकार कर पुनः तरमीम का आदेश पारित किया था जिसकों अधीनस्थ न्यायालय ने गलत अर्थ लगामर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है। उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया कि अनावेदकगण के पिता माला राम ने द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो मझगंज, जिला–रीवा म0प्र0 के यहां व्यवहारवाद क्रमांक 64ए/2000 निर्णय दिनांक 18.05.01 दायर किया था जो निरस्त कर दिया गया। प्रस्तुत नजरी नक्शा में मालाराम की भूमि उत्तर दक्षिण दिशा की ओर थी। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने नक्शा तरमीम सही था, जबकि नक्शा तरमीम पटवारी द्वारा किया गया राजस्व निरीक्षक द्वारा नहीं किया एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं था । नक्शा तरमीम पटवारी द्वारा नहीं किया गया बल्कि नक्शें में सुधार मनमाने ढंग से किया गया । जबकि मौके पर आवेदक का कब्जा दखल पूर्व एवं पश्चिम दिशा की ओर है तथा यदि नक्शे का तरमीम कब्जा के आधार पर किया जाना चाहिये । आवेदक द्वारा जो भूमि क्रय की गई है उसकी चौहद्दी दी गई है, उसी अनुसार काबिज दखल है मौके पर जांच की जा सकती है । इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावें।

4/ अनावेदक के अभिषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक के द्वारा विचारण न्यायालय में ग्राम धर्मपुरा तहसील हनुमना स्थित भूमि नं0 165/1, 165/2 रकबा क्रमशः 0.06 एकड़ तथा 0.10 एकड़ में पूर्व में किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया । विचारण न्यायालय के द्वारा आवेदक के तरमीम आवेदक को निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आवेदक के द्वारा अधीनस्थ

न्यायालय में अपील पेश की गई । अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी हनुमना द्वारा अपने आदेश में आवेदक को यह सुझाव दिया गया कि आवेदन अपील योग्य नहीं है, कलेक्टर न्यायालय में निगरानी दायर की जावे। इस प्रकार का निर्देश अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी हनुमना द्वारा दिया जाकर अपील को खारिज कर दी गई । परिणाम स्वरूप अपर कलेक्टर के न्यायालय में विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 19.09.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

6/ विचारण न्यायालय के मूल प्रकरण के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि प्रश्नाधीन भूमि का नक्शा तरमीम किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना राजस्व निरीक्षक या हल्का पटवारी के द्वारा कर दिया गया था जो मौके की वास्ताविक स्थिति एवं कब्जा दखल के अनुकूल नहीं था, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के द्वारा ऐसा न किया जाकर आवेदक के द्वारा दिया गया तरमीम के आवेदन को ही खारिज कर दिया गया, जो विधि के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

7/ अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के मूल प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त द्वारा कब्जा दखल नक्शा एवं स्थल अनुसार पाया गया है । अपर आयुक्त का कहना है कि यदि आवेदक पूर्व के नक्शा तरमीम से परिवेदित था तो उसकी निगरानी करनी थी। पुनः विचारण न्यायालय में नये सिरे से आवेदन देकर पूर्व के नक्शा तरमीम को निरस्त नहीं करा सके । इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को सही माना है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपर कलेक्टर रीवा का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30.07.08 निरस्त किया है, जो कि विधि के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विचार किये एवं बिना पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये ही आदेश पारित कर दिया, जो कि त्रुटिपूर्ण है ।

8/ प्रकरण में आवेदक ने प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग –2 मऊगंज के समक्ष आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त विवादित भूमियों पर आवेदक का स्वत्व आधिपत्य प्रदान किया जावे । प्रकरण क्रमांक 9ए/13 में के अनुसार प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, मऊगंज के द्वारा आवेदक का आवेदन स्वीकार करते हुये आवेदक के पक्ष में दिनांक 15.07.2016 को

आदेश पारित किया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । चूँकि व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व मण्डल में बंधनकारी होता है।

9/ उपरोक्त विश्लेषण के प्रकाश में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुये तथा व्यवहार न्यायालय के निर्णय को विचार में लेते हुये अपर अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2009 विधि के विपरीत होने से निरस्त किया जाकर, तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये गुण–दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जावे। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,